International Journal of Applied and Universal Research **E- ISSN No: 2395-0269**
Volume V, Issue IV, December 2018 Available online at: www.ijaur.com

मध्यप्रदेश में महिला विकास नीति का कार्यक्रय – एक अध्ययन

डॉ.विकास कुमार मिश्रा
राजनीति शास्त्र विभाग
शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.)

सारांश– भारत के संविधान निर्माताओं ने सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी के महत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकारते हुए, उन्हें समान अवसर प्रदान किये जाने की निश्चितता को संविधान की धारा 14, 15, और 16 में प्रतिपादित किया गया है। इन धाराओं के अनुसार महिलायें कानून के समक्ष बराबरी की हकदार हैं। रोजगार के क्षेत्र में उन्हें समानता का दर्जा दिया गया है। राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे बच्चों एवं महिलाओं के हितो के संरक्षण हेतु विशेष कानून बना सकते हैं। धारा 39 (ए), (डी) और (इ) धारा 42 में पुरुष और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के अधिकार महिला एवं बाल–कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा, समान कार्य के लिये पुरुष–महिला को समान वेतन पाने का अधिकार, कार्य स्थल एवं कार्य की मानवीय परिस्थितियां तथा मातृत्व की रक्षा एवं इसे सुविधा प्रदान किये जाने की बात कही गई है।

मुख्य शब्द – सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, महिला एवं अधिकार ।

प्रस्तावना –

पुरुष के पुरुषार्थ ने उसमें छिपी हुई पशुता को जगाया एवं बढ़ाया। अधिकार लिप्सा की भावना ने पुरुष प्रधान समाज की स्थापना में सहायक की भूमिका का निर्वाह किया। दूसरी तरफ महिला की सहज स्वाभाविक प्राकृतिक कोमलता एवं प्रजाति रक्षा की भावना ने समझौता एवं समपर्ण का आग्रह किया, जिसे उसने सहनशीलता का परिचय देते हुए स्वीकार कर लिया। उसकी सहनशीलता को कमजोरी समझकर पुरुष प्रधान समाज बर्बर एवं अत्याचारी बनता गया। समय के साथ महिलायें मानसिक गुलामी का शिकार होती गई स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि वे स्वयं पुरुष के साथ मिलकर महिलाओं पर अत्याचार करने में सहभागी की भूमिका निभाने लगी।

सामाजिक पतन की इस घृणित स्थिति में सुधार लाने हेतु समाज सुधारकों ने अनेक प्रयास किये, इन रूढ़ीगत सामाजिक मान्यताओं को मिटाने के लिए समाज सुधारकों के प्रयासों के साथ ही सामाजिक विधानों का भी सहारा लिया गया।

1. राजाराममोहन राय के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 में पारित हुआ। इस अधिनियम के 158 वर्ष बाद 1987 में जयपुर के देवराला गांव में रूप कुंवर नामक महिला सती हुई। उसके बाद 6 दिसम्बर 1987 को संसद द्वारा सती निवारण विधेयक पारित किया गया।
1. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों के फलस्वरूप हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ।
2. हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 पारित हुआ। जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस सम्बन्ध में पूर्व के कानून 1860 व 1891 में सुधार करके लड़कियों की विवाह के समय आयु सीमा 10 व लड़कों की 12 वर्ष बढ़ाकर क्रमशः 15 वर्ष एवं 18 वर्ष कर दी गई।
3. हिन्दू महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार प्रदान करने हेतु **''हिन्दू महिलाओं का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937''** पारित किया गया।
4. अलग रहने एवं भरण – पोषण का अधिकार 1946।
5. विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोगों को परस्पर विवाह की कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई।
6. **''हिन्दू विवाह अधिनियम 1955''** हिन्दुओं जिनमें जैन, बौद्ध एवं सिक्ख सम्मिलित हैं, इन सभी को विवाह एवं तलाक की सुविधा प्रदान की गई।
7. **''हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956''** उत्तराधिकार से सम्बन्धित पूर्व के नियमों को समाप्त कर सभी हिन्दूओं पर एक सा नियम लागू किया गया। इस अधिनियम के पश्चात् विधवा महिला अपने मृत पति से प्राप्त सम्पत्ति का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकती है।
8. **''हिन्दू नाबालिग संरक्षता अधिनियम 1956''** इस अधिनियम से पूर्व पिता की मृत्यु के बाद नाबालग बच्चे का संरक्षक बनने का अधिकार केवल पिता पक्ष को था, अब यह अधिकार माँ को भी दिया गया।
9. **''हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956''** इस अधिनियम में गोद लेने एवं भरण – पोषण सम्बन्धी कई अधिकार महिलाओं को प्रदान किये गये।
10. **''दहेज निरोधक अधिनियम 1961''** दहेज लेना देना अपराध की श्रेणी में आ गया एवं उपहार में प्राप्त वस्तु पर कन्या के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। 1985 में संशोधन कर इसे और कठोर बना दिया गया है। मुस्लिम महिलाओं के लिये तलाक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया है।

इन सामाजिक विधानों के बाद भी महिलाओं की स्थिति में वांछित सुधार नहीं हो पाया। समाज सुधारकों ने यह अनुभव किया कि जब तक महिलायें आत्मनिर्भर एवं शिक्षित नहीं होगी तब तक उनमें वांछित सुधार नहीं हो सकता है। महिलाओं की दृष्टि से भी सम्पूर्ण आबादी के लगभग आधे भाग को आर्थिक गतिविधियों से वंचित रख कर न तो सामाजिक उत्थान सम्भव है, न राष्ट्रीय उत्थान की कल्पना की जा सकती है। नौकरियाँ समिति हैं, स्वरोजगार के माध्यम से ही इस महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति सम्भव है। आज केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम आरंभ किये हैं, जिससे महिलायें अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ उद्यमिता के क्षेत्र में भी पुरुषों की बराबरी में आ सके।

विश्लेषण –

ग्रामों के विकास को गति प्रदान करने हेतु 16 दिसम्बर 1991 को संसद में 72 वां संशोधन विधेयक प्रस्तु किया गया जिससे पंचायती राज्य व्यवस्था को नये रूप में लागू किया जा सके। इसी संदर्भ में 22 सितम्बर 1992 को 73 वां संशोधन विधेयक पारित हुआ। जिसके तहत राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे एक वर्ष की समय सीमा में 73 वें संशोधन के अनुरूप कानून बना लें, इसी संदर्भ में 30 दिसम्बर 1993 को **''मध्यप्रदेश पंचायती राज्य अधिनियम 1993''**[7] पारित किया गया। 24 जनवरी 1994 को रायपाल की स्वीकृति मिल जाने के बाद 25 जनवरी से यह मध्यप्रदेश में लागू हो गया। इसे तीन स्तरीय रूप में लागू किया गया। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक तथा अन्य सभी प्रकार के विकास कार्यों एवं नकी देख–रेख का उत्तरदायित्व एवं अधिकार पंचायतों को दिया गया। इस व्यवस्था में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। **''मध्यप्रदेश पंचायती राज्य अधिनियम 1993''** में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों में राजनीति चेतना जगाने एवं प्रत्यक्ष रूप में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है –

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किये गये हैं।
2. जिन ग्राम पंचायतों के वार्डों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत या उससे कम स्थान आरक्षित हैं वहाँ कुल स्थानों की संख्या का 25 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है।
3. सभी वर्गों में महिलाओं के लिये कम से कम एक तिहाई स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था कही गई है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न से बचाने हेतु समाज के सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक संसाधनों में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं के उत्पादन एवं प्रजनक श्रम को समाज में समान महत्व प्रदान करने तथा पारिवारिक एवं सामाजिक सम्पत्तियों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अनेक कानूनों एवं नियमों को बनाया है, जिससे महिलायें शक्ति सम्पन्न व सामर्थवान बनकर सामाजिक, आर्थक एवं राजनीतिक विकास कार्यों में सहभागी बनें। एक तरफ केन्द्र सरकार ने महिलाओं हेतु सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों में कम से कम 30 प्रतिशत तक भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कहीं है, वहीं दूसरी तरफ मध्यप्रदेश सरकार ने 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक उनकों स्थान दिये जाने की बात कही है। सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, योजनाओं का उन्हें पर्याप्त लाभ मिल सके, वे आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें इसके लिए सरकार ने महिला नीति का निर्धारण किया है। सरकार की महिला नीति के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं –

1. महिलाओं के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इस संदर्भ में सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाना।
2. सामाजिक जीवन में महिलाओं को पूर्ण रूप से भागीदार बनाना, सभी प्रकार के निर्णयों में उन्हें हिस्सेदार बनाना तथा उनकी भूमिका को महत्व प्रदान करना।
3. सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी हेतु सकारात्मक कदम उठाना।
4. महिलाओं को सामर्थ्यवान जिससे वे जागरूक बनकर, सभी क्षेत्रों में विकास के प्रयासों का लाभ उठाने की क्षमता प्राप्त कर सकें।
5. महिलाओं में स्वयं का आत्मविश्वास जगाकर उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना।
6. जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की प्रत्यक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करना।
7. महिलाओं पर होने वाले अत्याचार क्रूरता एवं हिंसा का निवारण करना।
8. महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच में व्यापक स्तर पर बदलाव लाना तथा समाज को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाना।

सरकार ने अपने सभी विभागों को इन लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने को कहा है, जिससे महिलायें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर समाज में प्रतिष्ठा का जीवन–यापन कर सकें। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कुछ प्राथमिकताओं निर्धारित की गई हैं यहाँ पर कुछ ऐसी प्राथमिकतायें दी जा रही हैं जिसका सम्बन्ध महिला रोजगार विकास से है –

1. सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार महिलाओं को उपलब्ध कराया जायेगा। सामूहिक संसाधनों, भूमि एवं सम्पत्ति पर महिलाओं का नियन्त्रण स्थापित करने में सरकार मदद करेगी।

2. ऐसे घरों, जिसमें महिलायें ही प्रमुख हैं उन्हें मान्यता प्रदान की जायेगी और सभी परियोजनाओं में उन्हें समर्थन प्रदान करके स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे महिलाओं नियोजन की सभी प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों में सहभागी बने। उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रकार के प्रयास किये जायेगे, जिससे विकास की किरणें महिलाओं तक पहुंच सकें तथा वे लाभान्वित हो सकें।

3. सरकार का यह मानना है कि महिलायों सामूहिक सम्पत्ति एवं संसाधनों के विकास में प्रमुख रूप से भागीदारी हैं। सरकार का यह प्रयास होगा कि इस प्रकार के संसाधनों के प्रबन्धन एवं निर्णय में महिलाओं की भागीदारी सुनिशिचित की जाये।

4. विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर में मृद्धि करने के लिये सरकार प्रयास करेगी। इस संदर्भ में नौकरियों में महिलाओं के लिये आरक्षण की व्यवस्था लागू की जायेगी।

5. सरकार द्वारा बनाई गई सभी प्रकार की सलाहकार परिषदों तथा शक्ति सम्पन्न समूहों में महिलाओं हेतु न्यूनतम प्रतिनिधित्व निश्चित किया जायेगा। यह कम से कम कुल संख्या का एक तिहाई तक होगी।

6. सरकार महिलाओं को उत्पादन के रूप में मान्यता प्रदान करेगी तथा सभी प्रकार के विस्तार कार्यक्रमों में उन्हें लाभन्वित करने का प्रयास करेगी।

7. सरकारी आर्थिक उत्पादकों के रूप में महिलाओं को सक्रिय करने के लिये समर्थन प्रदान करेगी उसका यह प्रयास होगा कि महिलाओं के बचत एवं साख समूहों, डवाकरा, ग्राम्या जैसे बुनियादी कार्यक्रमों, जिला आपूर्ति एवं विपणन अभिकरणों, महिला आर्थिक विकास निगम जैसे प्रादेशिक अभिकरणों, राष्ट्रीय महिला कोष जैसे राष्ट्रीय अभिकरणों से महिलाओं की गतिविधियों को जोड़ा जाये, जिससे आर्थिक उतपादक कार्यों में महिलाओं को समय पर सहायता उपलब्ध हो सके तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

8. घरेलू एवं अन्य अनौपचारिक क्षेत्रों में महिलाओं को साख और संस्थागत वित्तीय सहायता न्यापूर्ण ढंग से प्राप्त कराने हेतु सरकार उपाय करेगी। इसके लिये प्रभावी योजनायें बनाकर मदद की जायेगी।

9. कृषि और कृषि से जुड़े एवं शहरी अनौपचारिक क्षेत्रों जिससे महिलायें बड़ी संख्या में जुड़ी हुई हैं। ऐसे सभी क्षेत्रों में सरकार महिलाओं में तकनीकी उद्यमिता, प्रबन्धन कौशल को बढ़ाने व मजबूत करने का उपाय करेगी। इसी तरह के उन्नयन का प्रयास महिला दस्तकारों एवं कारीगरों के लिये भी किये जायेंगे।

10. महिलाओं तक औद्योगिकी का लाभ पहुंचाने के लिये सरकार विशेष प्रयास करेगी। इस क्षेत्र में उन सभी उपायों को बढ़ावा देगी जिससे महिलाओं तक प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ पहंच सके।

11. साख सुविधा विस्तार कच्चे माल की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी एवं विपणन आदि में महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिये एक व्यापक प्रणाली विकसित एवं क्रियान्वित की जायेगी।

12. गृह उद्योग, ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प के क्षेत्र में महिलाओं की प्रधान भूमिका को मान्यता प्रदान की जायेगी। उनकी इस प्रधान भूमिका को विकासशील, लाभदायक एवं प्रतिस्पर्धी बनाया जायेगा।

13. सांख्यकीय अभिलेखों में महिलाओं से संबंधित तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। आंकड़ों को इकठ्ठा करने वाली प्रणाली को इस प्रकार बनाया जायेगा कि लिंगानुसार विवरण प्राप्त किये जा सके जिससे महिलाओं से संबंधित जानकारियाँ वास्तविक धरातल पर ज्ञात की जा सके। ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिए जिससे महिलाओं के घरेलू श्रम की भी झलक प्राप्त की जा सके।

14. सरकार के सभी अभिलेखों में महिला नीति के क्रियान्वयन की निगरानी की व्यवस्था की जायेगी तथा उसका पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा।

15. महिलाओं तक सभी विकास योजनायें पहुंच रही हैं यहीं नहीं इसे निश्चित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की सभी विस्तार सेवाओं में महिलाओं के लिये पद आरक्षित किये जायेगें।

16. शहरी क्षेत्रों, स्थानीय संस्थाओं, गृहनिमाण मण्डल, नगर विकास प्राधिकरण जैसे निकायों में दुकानों, व्यापारिक भू–खण्डों आदि के आवंटन में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

निष्कर्ष –

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश में सभी क्षेत्रों में महिलाओं में साख का प्रवाह समुचित ढंग से हो, इसके लिये राज्य स्तर पर समन्वयक समिति एवं राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति में महिलाओं के उपयोगकर्ता समूहों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जायेगा। राज्य स्तर से नीचे कार्य करने वाले अभिकरणों, जैसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय बैंकरों की समितियों तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं ग्रामीण बैंकों, मण्डलों एवं सहकारी समितियों में भी यह प्रावधान लागू किया जायेगा।

संदर्भ –

1. Celine, Rani (1992) : Emaging pattern of Rural women in India, Radha Publication New Delhi.
2. Kaushik shushila (1993) : Women and Panchayati Raj, Har – Anand Publication, New Delhi.
3. Ghosh, Bhola Nath (2002) Rural Women Leadership Mohit Publication New Delhi.
4. Sinha, Niroj (2000) : Women in Indian Politics Gyan Publishing House, New Delhi.
5. Qudeer, Imrana (1999) : Women and family welfare Ed.-Biduyt mohanti, women and political empowerment.
6. Panchandikar, K.C. & JN Panchandikar (1967) : Domestic structure and adjustment in Panchayati Raj Bodies, Ed. George, J. Readings on Panchayati Raj in India National Instilute of Community Development Hyderabad.
7. Sriniwas, M.N. (1996) : Social change in modern India university of California press.
8. Agrawal, Bina (1974) : A Field of one's own Gender and Land Rights in South Asia, Cambridge University Press, Cambridge.
9. Mehta, S.R. (1970) : The western educated Hindu women, Asia publising house, Bombay.
10. Desai N & Usha Thakkar (2003) : Women inIndia Society National Book Trust, New Delhi.